

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन- 462 004

क्रमांक एफ 11-11/2013/1-10

भोपाल, दिनांक 17/11/2022

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
भोपाल।

विषय:-लोकायुक्त संगठन की विशेष पुलिस स्थापना एवं आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा ट्रेप एवं छापे के प्रकरणों में समानांतर जांच नहीं करने बावत।

संदर्भ:-सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11-11/2013/1-10, दिनांक 30/07/2013

--00--

विषयांतर्गत, संदर्भित पत्र के द्वारा विभाग द्वारा पूर्व में निम्नानुसार निर्देश जारी किये गये थे:-

"लोकायुक्त संगठन एवं आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा डाले गये छापे अथवा ट्रेप के प्रकरणों में विवेचना के दौरान विभाग स्तर पर समानांतर जांच की कार्यवाही न की जाये। लोकायुक्त संगठन एवं आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा की गई विवेचना उपरांत जांच एजेन्सी द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ही विभाग द्वारा कार्यवाही की जाये।"

2/ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्टेट ऑफ राजस्थान विरुद्ध एवं अन्य (1999) 6 एस.एस.सी. 417 के आदेश में उल्लेखित "Hon'ble Supreme Court in State of Rajasthan Vs.B.K.Meena & Ors. (1999) 6 SCC 417 emphasised the need for initiating departmental proceeding and stated as below:

"It must be remembered that interests of administration demand that the undesirable elements are thrown out and any charge of misdemeanor is enquired into promptly. The disciplinary proceedings are meant really to punish the guilty but to keep

the administrative machinery unsullied by getting rid of bad elements. The interest of the delinquent officer also lies in a prompt conclusion of the disciplinary proceedings. If he is not guilty of the charges, his honour should be vindicated at the earliest possible moment and if he is guilty, he should be dealt with promptly according to law. It is not also in the interest of administration that persons accused of serious misdemeanor should be continued in office indefinitely, i.e, for long periods awaiting the result of criminal proceedings." का संदर्भ देते हुये अभिमत दिया है कि समान तथ्यों तथा साक्ष्य के आधार पर अपचारी कर्मचारियों के विरुद्ध आपराधिक मामलों की कार्यवाही तथा विभागीय कार्यवाही साथ-साथ चल सकती है।

3/ अतः सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तथा विधि एवं विधायी कार्य विभाग के अभिमत के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के उपरोक्त संदर्भित परिपत्र को निरस्त किया जाता है।

(डॉ० श्रीनिवास शर्मा)

सचिव,

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग


भोपाल, दिनांक 13/11/2022

पृ. क्रमांक एफ 11-11/2013/1-10

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, लोकायुक्त संगठन, भोपाल।
2. महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल।
3. अवर सचिव, (स्थापना) की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
4. स्टॉक फाइल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



उप सचिव,

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

*Techji
for uploading pl
19/11/2022*